झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2016-18 के इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 53/2017

एतद् द्वारा सत्र 2016-18 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित छात्र/छात्राओं, अंगीभूत महाविद्यालय, सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, मॉडल विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 2016-18 सत्र के लिए स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि ग्यारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2017 के लिए उपलब्ध कराये गये मांग पत्र में अंकित संकायवार छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीयन के लिए संबंधित महाविद्यालय का User ID एवं Password उनके जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 08.09.2017 से 09.09.2017 तक वितरण किया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने की तिथि	शुल्क चालान के माध्यम से जमा करने के लिए चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	Online/चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	08.09.2017 से 20.09.2017 तक	20.09.2017 तक	27.09.2017 तक
विलम्ब शुल्क सहित	03.10.2017 से 12.10.2017 तक	12.10.2017 तक	18.10.2017 तक

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्रों का पंजीयन **ग्यारहवीं वर्ग की परीक्षा के लिए संकायवार प्राप्त मांग पत्र में अंकित छात्र संख्या के अनुसार ही किया जा सकेगा।**

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट **www.jac.jharkhand.gov.in** तथा **www.jac.nic.in** के माध्यम से +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य की सुविधा हेतु ऑनलाइन पंजीयन के चरण (**Steps**) निम्नवत् हैं:-

- +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान परिषद् के उक्त दोनों वेबसाइट्स में से किसी पर भी जाकर Online Registration for Intermediate Examination 2018 अंकित Tab पर Click करेंगे। Click के बाद जो पेज खुलेगा उसमें एक फार्म उपलब्ध होगा जिसे डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त फॉर्म में छात्र अपनी विवरणी भरकर +2 विद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेंगे जिसका उपयोग छात्रों के पंजीयन विवरणी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के माध्यम से भरने में किया जा सकेगा।
- इसके उपरान्त उन्हें दिया गया User ID, Password एवं Captcha को निर्धारित कॉलम में भरकर Submit बटन पर क्लिक करना होाग।
- तत्पश्चात् एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमें +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान का मोबाइल नं. भरना होगा। ध्यातव्य कि यह मोबाइल नं. उनके +2 विद्यालय/महाविद्यालय के पंजीयन के लिए रजिस्टर्ड होगा एवं जितनी बार वे Login करेंगे, उस मोबाइल नं. पर One time password (OTP) का मैसेज आएगा एवं उस OTP को डालने के पश्चात् ही Login किया जा सकेगा। एक बार रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नं. को बदला नहीं जा सकता है।
- इसके बाद +2 विद्यालय / महाविद्यालय से संबंधित विवरणी के पेज में सभी जानकारी देनी होगी।
- +2 विद्यालय/महाविद्यालय की जानकारी देने के उपरान्त ही छात्रों का पंजीयन प्रारम्भ किया जा सकेगा। Add New Student के बटन पर क्लिक कर छात्रों का पंजीयन किया जाएगा।
- छात्र/छात्राओं की विवरणी भरने के उपरान्त उनका चेकलिस्ट प्रिन्ट करना अनिवार्य होगा। चेकलिस्ट प्रिन्ट कर सभी छात्र/छात्राओं की विवरणी का मिलान कर लिया जाय तथा उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को User ID एवं Password उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग कर वे +2 विद्यालय/महाविद्यालय के कोड के अनुसार +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पंजीयन के लिए आवेदित छात्र/छात्राओं का मिलान करेंगे ताकि वैसे ही छात्रों का पंजीयन सम्भव हो सके जो नामांकित हों एवं ग्यारहवीं वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। मिलान करने के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की विवरणी को, यदि आवश्यक हो तो संशोधन कर, अनुमोदित करेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त +2 विद्यालय/महाविद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Online payment किया जा सकता है या Generate Challan Tab के माध्यम से चालान Generate करेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे। +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान से यह अनुरोध होगा कि वे सभी छात्रों का एकसाथ Online payment या चालान जेनरेट करें, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

शुल्क की राशि

1. पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क - ₹70/- प्रति छात्र/छात्रा
2. पंजीयन शुल्क - ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा
3. पंजीयन विलम्ब शुल्क - ₹275/- प्रति छात्र/छात्रा
4. अनुमति शुल्क - ₹500/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)
5. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)
6. आव्रजन शुल्क - ₹150/- प्रति छात्र/छात्रा
7. आव्रजन विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा

उपर्युक्त कोटि के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹200/- भुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।

- उपर्युक्त कोटि के +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन बिना परिषद् की अनुमति के नहीं किया जाना है। यदि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है, किन्तु उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर बाहर चले गए हैं, तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
- जिन +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) सत्र 2016-18 हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र भरेंगे। साथ ही परिषद् द्वारा निर्गत पत्र को Upload करेंगे।
- सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं का आव्रजन प्रमाण पत्र जमा करना है पंजीयन के साथ Upload करेंगे। अगर पंजीयन प्रपत्र में आव्रजन प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन प्रपत्र भरा जाता है तो ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा छात्र का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय से केवल स्वतंत्र रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है जो नियमित छात्र/छात्राओं के साथ किया जाना है।

ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:-

	ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र भरने की तिथि	शुल्क चालान के माध्यम से जमा करने के लिए चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	Online/चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	16.09.2017 से 20.09.2017 तक	20.09.2017 तक	27.09.2017 तक
विलम्ब शुल्क सहित	03.10.2017 से 12.10.2017 तक	12.10.2017 तक	18.10.2017 तक

शुल्क की विवरणी

1. पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क - ₹70/- प्रति छात्र/छात्रा
2. पंजीयन शुल्क - ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा
3. पंजीयन विलम्ब शुल्क - ₹275/- प्रति छात्र/छात्रा
4. अनुमति शुल्क - ₹500/- प्रति छात्र/छात्रा
5. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा
6. आव्रजन शुल्क - ₹150/- प्रति छात्र/छात्रा
7. आव्रजन विलम्ब शुल्क - ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा

नोटः- वर्ष 2018 की इन्टर परीक्षा में निम्नांकित छात्र/छात्राएँ या शिक्षक ही स्वतंत्र छात्र के रूप में बैठ सकते हैः-

(1) वैसे शिक्षक जो प्रस्वीकृत संस्था में कार्यरत हैं तथा वर्ष 2016 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे शिक्षक को संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक होने का निर्गत प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(2) महिला एवं दिव्याँग छात्र, जो वर्ष 2016 एवं उसके पूर्व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे महिला एवं दिव्याँग छात्र को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन अमुक व्यक्ति के निर्देश में किया है और अमुक कारणों से वे इन्टर के नियमित रूप से प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं।

(3) पुरूष छात्र भी पंजीयन करा सकते हैं, वे वर्ष 2016 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र जिन कारणों से वे प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं, उससे सम्बन्धित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। स्वतंत्र रूप से कोई भी छात्र प्रायोगिक विषय के साथ विज्ञान संकाय में परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। परीक्षा में भूगोल विषय रखने के लिये उसे प्रस्वीकृत संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने संस्था से 6 माह का नियमित प्रायोगिक कोर्स/कार्य पूरा किया है। परन्तु गृह विज्ञान/संगीत के प्रायोगिक परीक्षा के लिये उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त कोटि के परीक्षार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र के साथ उल्लेखित वर्ष या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।

निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन संबंधी कार्य बन्द कर दिया जाएगा।

नोटः निर्धारित तिथि से एक सप्ताह के अन्दर User ID एवं Password नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसा के उपरान्त ही User ID एवं Password परिषद् कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter Exam-4188/17-SECY-521/17
Dt. 06.09.2017
D.O.P : 07.09.2017

Size : 16x24